कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल क्रमांक / एफ-3 / 50 / 2019 / 10-11 / 6 / भि० वर्म भोपाल, दिनांक 0 । 12 20 22 प्रति,

मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) ग्वालियर वृत्त ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

विषयः—जिला दितया एवं जिला ग्वालियर के अन्तर्गत माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु 1305.142 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र—2 डबरा जिला ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः—भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-20/2019-FC दि. 30.11.2022

--00--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न है) का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में संशोधित रकबे की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं अनुशंसा चाही गई है।

अतः प्रकरण में आप प्रस्तावित संशोधित रकबा 1305.142 है0 वनभूमि का स्थल निरीक्षण करतें हुए स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं अनुशंसा आनलाईन वेबपोर्टल पर अपलोड करते हुए इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

र्वा।।।/४०— (सुनील अग्रवाल) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ-3 / 50 / 2019 / 10-11 / 6 / भू ० ० १ प्रतिलिपिः- भोपाल, दिनांक 01/12/2022

1. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दतिया / ग्वालियर / भिण्ड, मध्यप्रदेश।

2. कार्यपालन यंत्री, हर्सी हाई लेवल नहर संभाग क्रं.—2 डबरा, जिला—ग्वालियर, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

> प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश. भोपाल

Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.

Dated: 30th November, 2022

To,

The Principal Secretary (Forests), Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

Subject: Diversion of 1305.142 ha (instead of 1248.821 ha) forest land for the construction of Maa Ratangarh Multipurpose Project in favour of Executive Engineer, Dabra under Datia and Gwalior Districts of Madhya Pradesh State (Online No. FP/MP/IRRIG/40397/2019) – regarding.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the Principal Chief Conservator of Forests (Land Management) and Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh letter no. F-3/50/2019/10-11/6/3624 dated 21.10.2022 on the above cited subject forwarding the required information. The examination of the said information has revealed that:

i. The documents like Online Part-II, Site Inspection Report of APCCF, Recommendation of APCCF in Part - II, Nodal Officer in Part - IV and State Govt. in Part - V have not been revised/uploaded as per the revised proposal.

Accordingly, it is requested to furnish the above mentioned information to this Ministry for further consideration of the proposal.

Yours sincerely,

Sd/-(Suneet Bhardwaj) Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

- 1. The PCCF (HoFF), Department of Forest, Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
- 2. The Regional Officer, Integrated Regional Office, MoEF&CC, Bhopal;
- 3. The Nodal Officer (FCA), Department of Forest, Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
- 4. User Agency;
- 5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF & CC, New Delhi for uploading on PARIVESH portal.

Digitally Signed by Suneet

Bhardwai

Date: 01-12-2022 11:43:48

Reason: Approved